राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 116/2024(बिजौलियां) दायर तारीख 26.06.2024 (बिजौलियां)

वादपत्र संख्या 198/2012(माण्डलगढ) दायर तारीख 05.09.2012 (माण्डलगढ़)

अनवान्

1. काना पिता नंदा जाति भील उम्र 50 साल पेशा कारत निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) (**मृतक**)
   1.1 मू0 मन्नी बेवा काना जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम .....वादी

1. भंवरसिह पिता लालसिंह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
2. जोरावरसिंह पिता लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
3. हिम्मतसिह पिता लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
4. शिवसिंह पिता लालसिंह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
5. प्रेमकंवर पुत्री लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
6. किशन कंवर बेवा लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां/माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. संजय चौहान – अधिवक्ता वादी।
2. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटखेडी प0ह0 माल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ की शरहद में साबीका बन्दोबस्त की आराजी नंबर 38 रकबा 3 बिस्वां, आ चा 39 रकबा 3 बीघा, 40 रकबा 1 बीगा 1 बिस्वा, 41 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वां, 42 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वां, 45 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वां कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा व आ–न– 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वां भूमि वादी के पिता नंदा पिता गोपी भील के नाम पर बहेसियत खातेदारी के राजस्व रेकार्ड में अंकित चली आ रही है। वादी व वादी के पिता ने उक्त आराजीयात किसी भी व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस वगैरा नहीं की है। वादी के पिता का देहान्त करीब 4 वर्ष पूर्व हो गया है तथा वादी एक मात्र पूर्व खातेदार नंदा पिता गोपी का जायंदा पुत्र होकर –वारित है। बिकाव का गलत अंकन कर काश्त के विपरीत खाता प्रतिवादीगण के पिता के नाम खोला गया जो गलत है। वादपत्र की कलम नम्बर 1 मे अंकित साबीका आराजीयात के हाल बन्दोबस्त में आराजी नंबर 86 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, 87 रकबा 4 बिस्वा 88 रकबा 4 बीगा 18 बिस्वा, 89 रकबा 4 बिस्वा गे0मू0 आ चाह खेजड़ा वाला 90 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वां, 139 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा –कूल किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा, कायम किये गये। उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा अपने पिता के समय से तथा उसकी मत्यु के बाद निरन्तर चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगन ने कभी भी उसके कब्जे काश्त मे कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। वादी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात पूर्व में वादी के पिता नंदा पिता गोपी भील अनुसूचित जनजाति के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित थी किन्तु प्रतिवादीगण जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति है उन्होंने – राजस्व कर्मचारीयो एवं सेटलमेन्ट विभाग से मिली भगती कर बिना किसी आधार पर व डिक्री के वादपत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित अराजीयात को अपने

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नाम पर राजस्व रेकार्ड के अंकित करा ली जब कि विवादग्रस्त आराजीयात अनुसूचित जन जाति के खाते की होकर स्वर्ण जाति के प्रतिवादीगण नाम राजस्व कार्ड में अंकित कर दी जो धारा 42 रा0टि0ए0 का पूर्ण उल्लंघन हैं। उक्त भूमि को स्वर्ण जाति के नाम अंकित की है जो प्रारम्भ से ही वादी के मूकाबले शून्य प्रभावी होकर विधिक रूप से इसका किसी प्रकार का महत्त्व नहीं है ।

वादी अनुतोष चाहता हैं कि ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 139 किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा का खातेदार वादी को घोषित किया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। वादपत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजीयात को प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकर की बाधा उत्पन्न नही करे तथा न विवादग्रस्त आराजीयात को किसी भी व्यक्ति के नाम पर स्थानान्तरण नही किया जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी काना के फोत होने से वादी की ओर से मन्नी बेवा काना भील निवासी भटखेड़ी हाल पटीयाल को पक्षकार बनाया गया।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जो जिसमे अंकित किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–2012 को अपनी आदेशिका पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 तक के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि न्यायालय द्वारा भिजवाये गये सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण न्यायालय मे उपस्थिति नही हुये। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील फूलानाथ तहसील के कर्मचारी द्वारा किये जाने का पृष्ठांकन है। फूलानाथ जो कि राजकीय कर्मचारी है वह प्रतिवादीगण के सम्मन की तामिल कराने उनके पास कभी नही आया। फूलानाथ तामिल कुनिन्दा ने प्रतिवादगण कमाक 1 से 4 तक के फर्जी हस्ताक्षर किये क्योकि अ. जो हस्ताक्षर सम्मन पर प्रतिवादीगण के हो रखे है वह एक ही व्यक्ति के हाथ के है। ब. एक ही साही या बाल पेन का उपयोग कर एक ही व्यक्ति ने सभी हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया वकालत नामे से यह बात सिद्ध है। यदि न्यायालय चाहे तो सत्यता जानने के लिए न्यायालय स्तर पर हस्तलिपि विशेषज्ञ से पर इसकी जांच करवा सकती है ओर उसमे लगने वाला व्यय तामिल कुनिन्दा फूलानाथ की तनख्वाह में से काट कर राजकोष में जमा करे ताकि भविष्य में न्यायालय को मुगालता देने के लिए फर्जी तामिल करा कोई तामिल कुनिन्दा प्रस्तुत नहीं करे। जिन तीन व्यक्तियो की निशानिया सम्मन पर होना अंकित किया है उन मे से कोई तामिल दिनांक को गांव मे ही नहीं थे फर्जी निशानिया स्वंय फूलानाथ ने लगायी। फुलानाथ ने राजकीय दस्तावेज पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर यह जानते हुये कूट रचना की है कि जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर वह कर रहा है उसे करने का अधिकार उसे नहीं है। ओर उसके कृत्य से प्रतिवादीगण की बहुमूल्य सम्पति कृषि सम्पति के अधिकार न्यायालय समाप्त कर वादी के पक्ष मे प्रकरण का निर्णय कर सकता है। फर्जी व कूटरचित सम्मन पर तामिल से प्रतिवादीगण जानकारी के अभाव मे न्यायालय मे उपस्थित नही हुये है। निवेदन करने का आशय यह है कि प्रतिवादीगण को न्यायालय मे उपस्थिति से रोका गया है यदि न्यायालय का सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त होता तो वे अवश्य न्यायालय में उपस्थित होते ओर अपने विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित नही होने देते। प्रतिवादीगण को बिना सुने यदि एक पक्षीय निर्णय न्यायालय पारित होता है तो उन्हे सिद्धतोर पर प्रतिवादीगण के सम्पति सम्बन्धी वैधानिक अधिकारों की क्षति होगी। प्रकरण दो तरफा कार्यवाही की जाकर प्रतिवादीगण को प्रकरण में सुनवायी का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है क्योकि वादपत्र वादी झूठा एवं आधारहीन हैं। अतः दिनांक 19.11.2012 को पारित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश को निरस्त फरमाया जावे व तामिल कुनिन्दा के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे।

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2013 का वादीया मू0 मन्नी बेवा काना जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी ने जवाब पेश किया जो निम्नानुसार हैं कि प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 तामील कूनीन्दा फूलानाथ कर्मचारी ने प्रतिवादीगण की विधिवत तामील करवायी है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 3 गलत होकर अस्वीकार है। फूलानाथा ने प्रतिवादीगण की तामील करवायी जो सही है। व कतई फर्जी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 3 अ ब स जिस कदर लिखी गयी स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने जानबूज कर सही तथ्यो को छीपाने की नियत से अपने वकालत नामा पर भिन्न भिन्न दस्तखत किया है जब कि प्रतिवादीगण के तामील बिलकुल सही करवायी गयी है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 4, 5, 6 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत तामील हुये है प्रतिवादी पेशी की पूर्ण जानकारी थी किन्तु जानबूझ कर प्रतिवादीगण पेशी पर हाजीर नही हुये है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 7 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने जानबूज कर मामले को लंबा करने की नियत से पेशी की पूर्ण जानकारी होते हुये भी उपस्थित नहीं हुये तथा 6 महीने बाद उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया जो बेरून मियाद है। तथा प्रतिवादीगण ने देरी से प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई न्यायोचित बात नही बताई है। केवल मात्र झूठमूठ ही गलत तथ्यो के साथ उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया जो काबिल खारीज के है।

प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र के साथ दफा 5 मियाद कानून या कोई शपथपत्र पेश नहीं किया गया है जब कि न्याय की दृष्टि से ऐसे प्रार्थनापत्र में शपथपत्र व दफा पाँच का प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाकर वादिया को विशेष हरजा खरचा दिलाया जावे क्यो कि उक्त मामला शहादत वादी में नियुक्त होकर वादीया निरन्तर शहादत हेतू न्यायालय में हाजीर होती रही है।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब दावे में विवादग्रस्त आराजी ख0न0 37 (गतबन्दोबस्ती) नन्दा भील के नाम पर दर्ज अभिलेख थी जिसे उसने संवत् 2008 में 82/– रूपये मे लालसिह पुत्र विजेसिह जी को विक्रय कर दी। इसी प्रकार आराजी ख0न0 40–41–42 (गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर) को संवत 2009 में 75/– रूपये में लालसिह पुत्र विजेसिह जी को विक्रय कर दी। इसी प्रकार खसरा न0 38, 39, व 45 (गतबन्दोबस्ती) को संवत 2010 में 98/– रूपये मे विक्रय कर दिया। विक्रय वर्ष से क्रेता लालसिह जी का सभी आराजियात वाली भूमि पर हो गया। वादी का यह कथन आधारहीन एवम बेबुनियाद है कि उसके पिता नन्दा भील ने अपनी खातेदारी भूमि का किसी को बेचान नही किया हो। आज के करीब 63–64 वर्ष पहिले भूमि विक्रय हो गयी तब संभवत वादी की पेदायस ही नही थी यदि पैदायस थी भी तो वह नाबालिग रहा होगा इसलिए उसे उसके पिता द्वारा किये गये विक्रय की जानकारी ही नही थी। भूमि का खाता परिवर्तन हुये करीब 45-46 वर्षकी अवधि हो गयी है। किसी भी खातेदार को यह 45–46 वर्ष तक यह जानकारी नहीं हो कि उसकी खातेदारी भूमि उसके नाम पर नहीं है ऐसा असंभव है। वादी का पिता नंदा भील अपने द्वारा भूमि के बेचे जाने की जानकारी रखता था इसलिए उसने कभी अपने जीवन काल में इस विवाद को नहीं उठाया। लालसिह एवम नंदा भील के बीच इन्ही आराजियात के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण चला जिसका निस्तारण दिनांक 26–9–1967 सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी ने किया–था । इसलिए वादी द्वारा उसी बिन्दु को अपने पिता की मृत्यु के बाद उठाना उचित नहीं है। न ही लम्बे समय पश्चात आधारहीन व अविश्वसनीय तथ्यो पर खातेदारी को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। वादी अथवा उसके पिता का वादग्रस्त जायदाद पर जैसे जैसे भूमि को विक्रयपत्रों के निष्पादन से विक्रय की गयी कब्जा उनका नही रहा। वादग्रस्त जायदाद पर लालसिह का कब्जा 62–63 वर्ष पूर्व ही हो गया उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 तक का वर्तमान मे कब्जा है। वर्तमान फसल भी प्रतिवादीगण न. 1 से 6 तक ने बोयी है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी मे भी बहेसियत खातेदार के प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादी का एवम उसके पिता का कब्जा भूमि के विक्रय के पश्चात से नहीं रहा। उनकी खातेदारी 62–63 वर्ष पूर्व ही विक्रय के साथ समाप्त हो गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अक्टुम्बर सन 1955 में लागू किया गया जिसका संवत 2012 पडता है ओर जो भूमि विक्रय की गयी वह संवत 2008–2009 एवम 2010 में की गयी। जो रा०टि०एक्ट लागू होने के पूर्व की गयी। भूमि विक्रय के वर्षों मे मेवाडा माल कानून लागू था जिसमे ऐसे कोई प्रतिबन्ध नही थे कि अनुसूचित जन जाति खातेदार की भूमि को सवर्ण जाति का व्यक्ति क्रय करने की वैधानिक पात्रता नही रखता हो। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू है वह भूतलाक्षी प्रभाव रखने वाला नही है। अपितु पश्चातवीं प्रभाव रखने वाला है इसलिए जिस प्रतिबन्ध को कानूनी आधार बनाकर आपती इस चरण में जतायी गयी है वह व्यर्थ की आपति है वादी को उससे कोई लाभ नही पहुंचता है। जवाबदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि उपरोक्त प्रकरण पर धारा 42 रा0टि0एक्ट के प्रावधान लागू नही होते क्योकि भूमि जरिये वैध विक्रय के क्रय की गयी है विक्रयपत्र राजस्थान काश्तकारी कानून वर्ष 1955 लागू होने से पूर्व के है। विक्रय पत्र वर्ष से भूमि बेचना माना जायेगा न कि नामान्तकरण बाद खोले जाने से धारा 42 रा.टि.ए. लागू होना माना जायेगा। वादपत्र रेसजुडी केटा के प्रावधानों से ग्रसीत होने से यह द्वितीय प्रकरण की कार्यवाही वैध नहीं है। वादपत्र अवधि पर है क्योकि भूमि 62–63 वर्ष हो चुकी है व कब्जा लालसिंह जी का विक्रय के साथ ही लालसिंह जी का हो चुका था। वादी को वादपत्र लाने की वैधानिक पात्रता नहीं है। वादी ने गलत तथ्य वर्णित कर वादपत्र पेश किया हैं। अतः वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ ग्राम भटखेड़ी पटवार हल्का माल का खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत 2022 से 2025, नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068, प्रमाणित खसरा मिलान बन्दोबस्ती [illegible]ीयात की फ़ोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने नकल ऑर्डरशीट सहायक भुप्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, प्रमाणित प्रति नामान्तरणकरण सं. 10, नकल नामान्तरणकरण सं. 11, नकल नामान्तरणकरण सं. 12, नकल जमाबन्दी ग्राम भटखेड़ी सं. 2022 से 2025, नकल जमाबन्दी ग्राम भटखेड़ी सं. 2022 से 2025 की प्रतिया प्रस्तुत की हैं

उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया –विवादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता की खातेदारी कि थी जो गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी वादी खातेदारी अधिकारी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं।
2. आया –विवादग्रस्त आराजीयात अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हैं। सवर्ण व्यक्ति के नाम दर्ज हो गयी जो विधिक प्रावधानों के खिलाफ हैं।
3. आया –विवादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता ने प्रतिवादीगण को विक्रय कर दिया था विक्रय के बाद से ही कब्जा काश्त चला आ रहा हो। विक्रय काश्तकारी कानून लागु होने से पूर्व का होने से विक्रय विधिक रूप से सही हैं।
4. वादपत्र रेसजुडी केटा से प्रभावित हैं।
5. अनुतोष क्या होगा ?

पत्रावली में वादी द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया ।

बहस में वादी ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 139 किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा का खातेदार वादी को घोषित किया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण चाही हैं। जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में अंकन अनुसार उपरोक्त प्रकरण पर धारा 42 रा0टि0एक्ट के प्रावधान लागू नही होना बताया क्योकि भूमि जरिये वैध विक्रय के क्रय की गयी है विक्रयपत्र राजस्थान काश्तकारी कानून वर्ष 1955 लागू होने से पूर्व के है। विक्रय पत्र वर्ष से भूमि बेचना माना जायेगा न कि नामान्तकरण बाद खोले जाने से धारा 42 रा.टि.ए. लागू होना माना जायेगा। वादपत्र रेसजुडी केटा के प्रावधानों से ग्रसीत होने से यह द्वितीय प्रकरण की कार्यवाही वैध नहीं है। वादपत्र अवधि पर है क्योकि भूमि 62–63 वर्ष हो चुकी है व कब्जा लालसिंह जी का विक्रय के साथ ही लालसिंह जी का हो चुका था। वादी को वादपत्र लाने की वैधानिक पात्रता नहीं है। वादी ने गलत तथ्य वर्णित कर वादपत्र पेश किया हैं। इसलिए वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाना चाहा हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 139 किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 6 तक का वर्तमान मे कब्जा होने से, वर्तमान फसल भी प्रतिवादीगण न. 1 से 6 तक ने बोयी है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी मे भी बहेसियत खातेदार के प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादी का एवम उसके पिता का कब्जा भूमि के विक्रय के पश्चात से नहीं रहने प्रस्तुत वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 139 किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर अस्वीकार/खारीज किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 116/2024(बिजौलियां) दायर तारीख 26.06.2024 (बिजौलियां)

वादपत्र संख्या 198/2012(माण्डलगढ) दायर तारीख 05.09.2012 (माण्डलगढ़)

अनवान्

1. काना पिता नंदा जाति भील उम्र 50 साल पेशा कारत निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0) (मृतक)
   1.1 मू0 मन्नी बेवा काना जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. भंवरसिह पिता लालसिंह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
2. जोरावरसिंह पिता लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
3. हिम्मतसिह पिता लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
4. शिवसिंह पिता लालसिंह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
5. प्रेमकंवर पुत्री लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी
6. किशन कंवर बेवा लालसिह राजपूत उम्र बालीग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां/माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13/11/2025

डिक्री दिनांक : 13/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री संजय चौहान व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम भटखेड़ी प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़/वर्तमान बिजौलियां में स्थित आराजी नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 139 किता 6 रकबा 18 बीगा 2 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर अस्वीकार/खारीज किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की गई । खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् .....
Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह नवम्बर वर्ष 2025 को जारी किया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ